तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुयें
17.5.22	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार निर्णित किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक् से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 7 यदि उक्त निर्णय से किसी तरह प्रभावित हो तो सक्षम न्यायालय में अपने उज्रात पेश करने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। उक्त राजीनामा अनुसार पर्चा डिक्री कायम हो। पत्रावली फैसल कुमार होकर नंबर से कम हो।	

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:38:11 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारीः संजय कुमार गोरा (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्याः 29/2013
दायर दिनांकः 19.03.2013
निर्णय दिनांकः 17.05.2022

उनवान

1. रामप्रताप पुत्र नानगा जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
2. रामजीलाल पुत्र नानगा जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
3. प्रभूदयाल पुत्र नानगा जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
4. रमेश पुत्र नानगा जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
5. रामकिशन पुत्र नानगा जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
नारायणी बेवा नानगा (हजफ)
घासीलाल पुत्र लक्ष्मण जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
नन्दलाल पुत्र लक्ष्मण जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
रामकिशोर पुत्र लक्ष्मण जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
मुकेश पुत्र रेवडमल जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
अनिल कुमार पुत्र रेवडमल जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
कमला देवी पत्नी रेवडमल जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
कल्याण पुत्र झूंथा (फौत)
13/1– रामसहाय पुत्र स्व0 कल्याण जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
कैलाश चन्द पुत्र मूल्या जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
सुखलाल पुत्र मूल्या जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
धर्म सिंह पुत्र मूल्या जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
पूनी देवी पुत्री मूल्या जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
ज्याना देवी बेवा मूल्या जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
रामलाल पुत्र नारायण जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।
शंकर लाल पुत्र नारायण जाति माली निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा जिला दौसा।

वादी

बनाम

रामप्रताप पुत्र पेमा जाति ब्राह्मण (फौत)
1/1– सियाराम पुत्र रामप्रताप जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भण्डाना तहसील दौसा।
1/2– विमला पुत्री रामप्रताप पत्नी ओमप्रकाश जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम पट्या तहसील लालसोट जिला दौसा।
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार दौसा।
उप पंजीयक दौसा।
कैला देवी पत्नी रामहरि जाति मीणा निवासी भण्डाना तहसील दौसा।
जितेन्द्र कौशल पुत्र जगदीश चन्द्र कौशल जाति स्वर्णकार निवासी 202 तेहखान ओखला दिल्ली।
विरेन्द्र कुमार पुत्र हरिनारायण जाति ब्राह्मण निवासी झेरा तहसील दौसा।
श्रीमती मंजू पत्नी नन्दकिशोर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी बगरू ... सांगानेर जिला जयपुर।
बैंक ऑफ बडौदा शाखा दौसा जरिए शाखा प्रबंधक शाखा कार्यालय।

प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:38:11 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

वादीगण ने वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत् उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया है। प्रकरण के संक्षिप्त

उप खण्ड अधिकारी

तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 1 ग्राम भण्डाना तहसील व जिला दौसा के रहने वाले है। प्रतिवादी सं0 2 व 3 राज्य सरकार के वैध प्रतिनिधि है। प्रतिवादीगण 4 लगा0 7 जमाबंदी में खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष उक्त वाद में नही चाहा गया है, मात्र जमाबंदी में खातेदार होने के कारण परफोरमा पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं0 8 को राहिन बैंक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है।

यह कि वादीगण ने साबिक खसरा नं0 124/1/492 रकबा 12 बीघा जरिए विक्रय पत्र पूर्व में जोरावर सिंह से खरीद की थी तथा प्रतिवादी सं0 1 ने जोरावर सिंह से साबिक खसरा नं0 124/1/491 रकबा 5 बीघा अर्थात् 1.25 है0 भूमि खरीद की थी। उक्त साबिक खसरा नं0 124/1/492 के सैटलमेंट विभाग ने हाल खसरा नं0 475 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 476 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 477 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 478 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 485 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 486 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 487 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 488 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 489 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 490 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 491 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 492 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 493 रकबा 0.18 है0 कुल रकबा 2.79 है0 बनाए गये, जबकि वादीगण की खातेदारी में सैटलमेंट विभाग द्वारा पूर्व साबिक रिकॉर्ड के अनुसार 12 बीघा अर्थात् 3.00 है0 भूमि दर्ज करनी चाहिए थी। इस प्रकार सैटलमेंट विभाग ने वादीगण की खातेदारी की भूमि में साबिक रिकॉर्ड से हाल रिकॉर्ड बनाए जाने में 0.21 है0 भूमि कम दर्ज कर प्रतिवादी सं0 1 के हाल ख0नं0 479 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 480 रकबा 1.06 है0, कुल रकबा 1.38 है0 अर्थात 0.13 है0 भूमि अधिक दर्ज कर दी, जबकि प्रतिवादी सं0 1 की वर्तमान खातेदारी ख0 नं0 479 रकबा 0.32 है0, ख0 नं0 480 रकबा 1.06 है0, के साबिक ख0 नं0 124/1/491 रकबा 5 बीघा खरीदशुदा भूमि थी। इस प्रकार वादीगण की 0.13 है0 भूमि कम कर प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी में 0.13 है0 भूमि अधिक दर्ज कर दी, जिसका कि सैटलमेंट विभाग को कानूनन कोई हक व अधिकार नही था। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर वादीगण ने निवेदन किया है कि प्रतिवादी सं0 1 की खातेदारी भूमि वर्तमान ख0नं0 479 रकबा 0.32 है0 एवं ख0नं0 480 रकबा 1.06 है0 कुल रकबा 1.38 है0 में से 0.13 है0 भूमि वादीगण की खातेदारी भूमि के लगती हुई भूमि स्थित वाके ग्राम भण्डाना तहसील दौसा का खातेदार वादीगण को घोषित किया जावे एवं वादीगण की खातेदारी में दर्ज किया जावे। उक्त भूमि की राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाऐ रखे तथा वादीगण के कब्जेकाश्त उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नदाखलत पैदा करने से किसी दीगर के रहन बय हस्तानांतरित करने से स्वयं प्रतिवादीगण एवं अपने परिवारजन, नौकर–चाकर, एजेन्ट–सर्वेन्ट अधिकारी, कर्मचारी एवं हर प्रकार से हमेशा के लिए प्रतिबंधित रहे। प्रतिवादी सं0 2 को वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने व प्रतिवादी सं0 3 को प्रतिबंधित किया जावे कि प्रतिवादी सं0 1 द्वारा वादग्रस्त भूमि का कोई रहनबय हस्तांतरण का विक्रय विलेख प्रस्तुत करने पर उसका पंजीयन नही करें।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी की गई। प्रतिवादी सं0 8 की ओर से जवाब प्रस्तुत कर अवगत करवाया गया है कि उक्त वाद में वर्णित भूमि के संबंध मे मिन उत्तरदाता के यहां प्रस्तुत किये राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर ऋण स्वीकृत किया गया है जिसकी मिन उत्तरदाता द्वारा मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड की जांच करायी गयी है, जिसके आधार पर ही ऋण स्वीकृत किया गया है। रहन रखी हुई भूमि का सम्पूर्ण ऋण अदायगी होने पर भूमि को रहनमुक्त करने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जावेगा। शेष प्रतिवादीगण की ओर से कोई जवाब पेश नही किया गया है।

प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1/1 एवं 1/2 की ओर से राजीनामा प्रस्तुत कर उक्त वाद का निस्तारण राजीनामा अनुसार करने का निवेदन किया गया है। इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामें में निवेदन किया गया है कि वादीगण का वाद राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाकर ग्राम भण्डाना तहसील दौसा स्थित वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0 475 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 476 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 477 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 478 रकबा 0.19 है0, ख0नं0 485 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 486 रकबा 0.33 है0, ख0नं0 487 रकबा 0.24 है0, ख0नं0 488 रकबा 0.26 है0, ख0नं0 489 रकबा 0.23 है0, ख0नं0 490 रकबा 0.13 है0, ख0नं0 491 रकबा 0.11 है0, ख0नं0 492 रकबा 0.14 है0, ख0नं0 493 रकबा 0.18 है0 में प्रतिवादी रामप्रताप पुत्र पेमाराम जाति ब्राह्मण निवासी भण्डाना तहसील दौसा की खातेदारी भूमि खसरा नं0 479 रकबा 0.32 है0, ख0नं0 480 रकबा 1.06 है0 कुल रकबा 1.38 है0 में से प्रतिवादी सं0 1 के खसरा नं0 479 रकबा 0.32 है0 में से 0.13 है0 भूमि कम की जाकर वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:38:11 IST
Reason: SelfAttested

लगातार.....3......

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

ख0 नं0 478 में दर्ज की जावे तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। उक्त राजीनामा अनुसार ही राजीनामा तस्दीक किया जाकर डिक्री का भाग समझा जावे। उक्तानुसार प्रस्तुत किये गये राजीनामा को दिनांक 26.04.2022 को तस्दीक किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी सं0 2 व 3 राज्य सरकार के वैध प्रतिनिधि है। प्रतिवादीगण 4 लगा0 7 जमाबंदी में खातेदार होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध कोई अनुतोष उक्त वाद में नही चाहा गया है, मात्र जमाबंदी में खातेदार होने के कारण परफोरमा पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं0 8 को राहिन बैंक होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं0 1/1 व 1/2 ने उक्त राजीनामानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने हेतु डिक्री जारी किये जाने की सहमति प्रकट की है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी सं0 1/1 व 1/2 के ग्राम भण्डाना तहसील दौसा स्थित भूमि खसरा नं0 479 रकबा 0.32 है0 में से 0.13 है0 भूमि कम की जाकर वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा नं0 478 में दर्ज की जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में इसी अनुसार दुरूस्ती की जावे। वादीगण को उक्त 0.13 है0 रकबे का खातेदार घोषित किया जाता है। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार दखल नहीं दें। प्रतिवादी संख्या 4 लगा0 7 यदि उक्त निर्णय से किसी तरह प्रभावित हो तो उक्त निर्णय के विरूद्ध अपना उज्रात सक्षम न्यायालय में पेश करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा न्यायालय की मोहर एवं मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा
उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:38:11 IST
Reason: SelfAttested